

न्यायालय आयुक्त रायपुर संभाग, रायपुर छ0ग0
(पीठासीन अधिकारी महादेव कावरे (IAS))

पुनरीक्षण प्रकरण कमांक 202012970100011 /

56 अ-12 वर्ष 2020-21

ग्राम सड्डू, तहसील व जिला रायपुर छ0ग0

निजाम सेन पिता स्व. नरोत्तम सेन,
निवासी गांधी चौक, सड्डू,
गुरुगोविंद सिंह वार्ड, वार्ड क्र. 29,
रायपुर, तहसील व जिला-रायपुर (छ0ग0)

.....पुनरीक्षणकर्ता

विरुद्ध

1. नानक राम रहेजा पिता स्व. दया राम रहेजा,
निवासी-बलांगीर (उड़ीसा)
हाल मुकाम-अवंति विहार, रायपुर
तहसील व जिला-रायपुर (छ0ग0)
2. छ0ग0 शासन
3. श्रीमती पल्लवी परेश मानला
पति परेश मानला
निवासी- फाफाडीह, रायपुर
तहसील व जिला रायपुर (छ0ग0)

.....उत्तरवादीगण

पुनरीक्षणकर्ता अभिभाषक - श्रीमती प्रतिभा साहू
उत्तरवादी अभिभाषक - श्री नरेन्द्र शर्मा

आदेश

(पारित दिनांक 17.02.2025)

पुनरीक्षणकर्ता निजाम सेन पिता स्व. नरोत्तम सेन, निवासी गांधी चौक, सड्डू, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ0ग0) द्वारा अपर कलेक्टर रायपुर के राजस्व प्रकरण क्र. 10 अ-12 वर्ष 2020-21 में पारित आदेश दिनांक 27.11.2020 से क्षुब्ध होकर छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत नानक राम रहेजा पिता स्व. दया राम रहेजा, निवासी बलांगीर (उड़ीसा), हाल मुकाम-अवंति विहार, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर एवं छ0ग0 शासन के विरुद्ध यह पुनरीक्षण प्रस्तुत किया है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि उत्तरवादी क्र. 1/आवेदक नानकूराम रहेजा पिता स्व. दयाराम रहेजा निवासी बलांगीर उड़ीसा हाल मुकाम रायपुर छ.ग. द्वारा संहिता की धारा 129 के तहत ग्राम सड्डू, प.ह.नं. 109/44, तहसील व जिला रायपुर स्थित भूमि ख.नं. 427/1 रकबा 0.352 हे. अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि के सीमांकन हेतु विचारण न्यायालय तहसीलदार रायपुर के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पर राजस्व निरीक्षक/हल्का पटवारी से प्रतिवेदन पर कि आवेदित भूमि के सीमांकन हेतु ख.नं. 421, 425 एवं 426 के तिमेड़ा को आधार मानकर सीमांकन में आवेदित भूमि के 0.0618 हे. अर्थात् 6660 वर्गफुट पर निजाम सेन के द्वारा बाउण्ड्रीवाल बनाकर कब्जा किया गया जिसे संलग्न



सत्य प्रतिलिपि

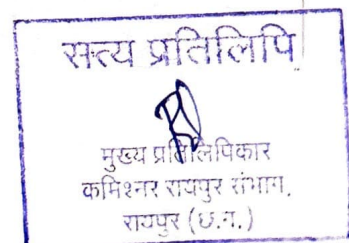
मुख्य प्रतिनिधिकार
कमिशनर रायपुर संभाग,
रायपुर (छ.ग.)

नक्शे में चिह्नित किया गया। राजस्व निरीक्षक द्वारा अपने प्रतिवेदन के साथ स्थल पंचनामा, आवेदित भूमि का खसरा, बी-1, चिन्हांकित नक्शा, आम सूचना, सूचना नोटिस एवं सुरेन्द्र गोयल द्वारा प्रस्तुत लिखित आपत्ति के साथ प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने पर प्र.क्र. 27 अ-12 वर्ष 2019-20 में आदेश दिनांक 12.12.2019 द्वारा यह पाते हुए कि आपत्तिकर्ता द्वारा स्वयं का ख.नं. 429/1 रकबा 0.194 हे. का भूमिस्वामी होकर आवेदक की भूमि के सीमांकन से आपत्तिकर्ता का हित प्रभावित नहीं हो रहा है। राजस्व निरीक्षक के प्रस्तुत सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 19.11.2019 को अनुमोदित किया जाकर आपत्तिकर्ता की आपत्ति आधारहीन होने से प्रकरण खारिज कर नस्तीबद्ध किया गया। इस आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षणकर्ता निजाम सेन पिता स्व. नरोत्तम सेन के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर रायपुर को पुनरीक्षण प्रस्तुत किये जाने पर रा.प्र.क्र. 10 अ-12 वर्ष 2020-21 में आदेश दिनांक 27.11.2020 के द्वारा यह पाते हुए कि पुनरीक्षणकर्ता ने अपनी स्वामित्व की भूमि के संबंध में कोई राजस्व अभिलेख संलग्न नहीं किया है। पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण प्रारंभिक स्तर पर सुनवाई हेतु ग्राह्य योग्य नहीं होने से अस्वीकार किया है, उसी के विरुद्ध यह पुनरीक्षण है।

पुनरीक्षण के आधार में तहसीलदार के न्यायालय में प्रस्तुत राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन में मूल ख.नं. 427 का नक्शा में बटांकन नहीं होने से सीमांकन किया जाना विधि विरुद्ध होकर निरस्त योग्य होना, स्थल पर चांदा मुनारा नहीं होने से तिमेड़ा ख.नं. 421, 425 एवं 426 को आधार मानकर ख.नं. 427 के नक्शे के सीमाओं को नापकर चिन्हांकित किया गया जबकि राजस्व निरीक्षक द्वारा स्थल पर नाप ही नहीं होना, उत्तरवादी जिससे भूमि रजिस्टर्ड बैनामा से लेना बताया है उसमें संलग्न नक्शा और वर्तमान में राजस्व निरीक्षक द्वारा अपने प्रतिवेदन में संलग्न नक्शा में काफी भिन्नता होना, ख.नं. 365 का वर्तमान पटवारी रिकार्ड में 16 बटांकन अर्थात् 16 भूमि स्वामी है किन्तु पटवारी नक्शा में कोई बटांकन नहीं है इसलिये बाबू खान द्वारा प्रस्तुत ले आउट का कोई विधिक मान्य नहीं होना, प्रश्नाधीन सीमांकन प्रतिवेदन एवं प्रश्नाधीन अनुमोदन गलत एवं विधि विपरीत होने के कारण त्रुटिपूर्ण आदेश कायम रखे जाने योग्य नहीं होना, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिपादित सिद्धांत स्टेट ऑफ उड़ीसा वि. धनीराम लुहार एयर 2014 एससी 1794 स्टेट ऑफ उत्तरांचल एवं वी. सुनील कुमार सिंह नेगी, एयर 2008 एससी 2026 जिसमें प्रत्येक आदेश के लिए कारण का उल्लेख दिया जाना आवश्यक होना, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना रिकार्ड आहुत किये व धारा 5 म्याद अधिनियम का निराकरण किये बिना ही प्रारंभिक सुनवाई में ही पुनरीक्षण को आधारहीन मानते हुए खारिज योग्य होना, उत्तरवादी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई सूचना पत्र जारी नहीं किया गया का लेख करते हुए तहसीलदार रायपुर का आदेश दिनांक 12.12.2019 और अपर कलेक्टर रायपुर का आदेश दिनांक 27.11.2020 निरस्त करने का निवेदन किया है।

3/ अधीनस्थ न्यायालयों के प्रकरण प्राप्त तर्क सुना गया। उभय पक्ष द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत किया गया।

4/ पुनरीक्षणकर्ता पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्क में लेख किया गया है कि तहसीलदार के न्यायालय में प्रस्तुत राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन में मूल ख.नं. 427 का नक्शा में बटांकन नहीं है और बिना नक्शा में बटांकन किये सीमांकन किया जाना विधि विरुद्ध है इसलिये प्रथम दृष्टि में ही अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। उपरोक्त भूमि का सर्वप्रथम नक्शा में बटांकन किया जाना था जिस पर कोई विचार तहसीलदार रायपुर द्वारा नहीं किया गया और आर.आई. के प्रतिवेदन को सही मानकर अनुमोदित कर दिया है जो गंभीर त्रुटि है तथा निरस्त योग्य है। स्थल पर चांदा मुनारा नहीं होने से तिमेड़ा ख.नं. 421, 425 एवं 426 को आधार मानकर ख.नं. 427 के नक्शे के सीमाओं को नापकर चिन्हांकित किया गया जबकि राजस्व निरीक्षक द्वारा स्थल



पर नाम ही नहीं किया गया है राजस्व निरीक्षक द्वारा जमीन का नाप पटवारी नक्शा के आधार पर किया गया है जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने नहीं समझकर गंभीर भूल किया है उक्त जमीन के सीमांकन में कोई स्थायी चिन्ह को आधार नहीं माना गया है जो गंभीर त्रुटि है। उपरोक्त भूमि को उत्तरवादी द्वारा जिससे लेना बताया है उक्त रजिस्टर्ड बैनामा में पटवारी नक्शा संलग्न है उक्त नक्शा एवं वर्तमान में राजस्व निरीक्षक द्वारा अपने प्रतिवेदन में जो नक्शा संलग्न किया गया है उक्त नक्शा में काफी भिन्नता है जो अवलोकन से प्रथम दृष्टया वर्तमान पटवारी नक्शा त्रुटिपूर्ण है ऐसी स्थिति में राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन पर विश्वास नहीं किया जा सकता इसलिये भी उपरोक्त सीमांकन रिपोर्ट शून्य है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्वमेव शून्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने भी बिना अध्ययन किये एवं मामले की तथ्य को समझे बिना ही प्रतिवेदन को अनुमोदित कर दिया है। धारा 129 के तहत सीमांकन बाबत आदेश पारित करने का अधिकार तहसीलदार

को है न कि राजस्व निरीक्षक/पटवारी को लेकिन प्रश्नाधीन प्रकरण तहसीलदार द्वारा न तो सीमांकन प्रतिवेदन पर पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिया और न ही यह जानने की कोशिश की कि वास्तव में वाद भूमि की स्थिति क्या है एवं इस संबंध में तर्क संगत आदेश देना था लेकिन उनके द्वारा राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन को आधार मानकर अपना अनुमोदन करते हुए तथा अपना कोई निष्कर्ष नहीं निकालकर प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिपादित सिद्धांत स्टेट ऑफ उड़ीसा वि. धनीराम लुहार एयर 2014 एससी 1794 स्टेट ऑफ उत्तरांचल एवं वी. सुनील कुमार सिंह नेगी, एयर 2008 एससी 2026 जिसमें प्रत्येक आदेश के लिए कारण का उल्लेख दिया जाना आवश्यक होना, अपर कलेक्टर न्यायालय ने बिना रिकार्ड आहुत किये व धारा 5 म्याद अधियम का निराकरण किये बिना की प्रारंभिक सुनवाई में ही पुनरीक्षण को आधारहीन मानते हुए निरस्त कर दिया जो उचित नहीं है। अपर कलेक्टर न्यायालय का आदेश त्रुटिपूर्ण व संदिग्ध है तथा निरस्त योग्य है। पुनरीक्षण याचिका का लंबन के दरम्यान ही उत्तरवादी क्र. 1 द्वारा उक्त प्रश्नाधीन जमीन को उत्तरवादी क्र. 2 को पंजीकृत बैनामा के माध्यम से दिनांक 17.03.2024 को विक्रय कर दिया गया है इसलिए उत्तरवादी क्र. 2 को पक्षकार बनाया गया है चूंकि प्रश्नाधीन जमीन पर वर्तमान में उत्तरवादी क्र. 1 का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं है इसलिए अब वाद जमीन पर उत्तरवादी क्र. 1 का कोई हित निहित नहीं है। ऐसी स्थिति में जिस सीमांकन आदेश के विरुद्ध यह पुनरीक्षणकर्ता ने पुनरीक्षण प्रस्तुत किया है अब उसका कोई औचित्य नहीं होने से भी उक्त सीमांकन आदेश शून्य हो गया है इसलिए पुनरीक्षण स्वीकार किया जाना आवश्यक है। तहसीलदार रायपुर के राजस्व प्रकरण क्र. 27 अ-12 वर्ष 2019-2020 में पारित आदेश दिनांक 12.12.2019 में प्रश्नाधीन अनुमोदन आदेश एवं प्रश्नाधीन सीमांकन निरस्त करने तथा पुनरीक्षणकर्ता एवं आसपास के भूमि स्वामियों को व्यक्तिगत सूचना देते हुए पुनः विधिवत उत्तरवादी क्र. 2 द्वारा यदि नया सीमांकन आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो धारा 129 में बने प्रावधान के तहत सीमांकन किये जाने हेतु आदेश प्रदान किये जाने का निवेदन किया है।

5/ उत्तरवादी पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्क में लेख किया गया है कि सीमांकन प्रतिवेदन के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि उत्तरवादी द्वारा ग्राम सड़क, प.ह.नं. 109/44, तहसील व जिला रायपुर स्थित अपनी भूमि ख.नं. 427/1 रकबा 0.352 हे. के सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। उक्त आवेदन पर तहसीलदार द्वारा राजस्व निरीक्षक/पटवारी को ज्ञापन जारी किया जाकर आवेदक/उत्तरवादी की भूमि का विधिवत सीमांकन कर प्रतिवेदन देने निर्देश दिया गया था जिसके परिप्रेक्ष्य में राजस्व निरीक्षक द्वारा मौके पर उपस्थित लोगों की उपस्थिति में विधिवत सीमांकन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। पुनरीक्षणकर्ता ने अपने पुनरीक्षण में आवेदित भूमि का नक्शे में बटांकन नहीं होने संबंधी आपत्ति उठाई है उक्त परिप्रेक्ष्य में सीमांकन प्रतिवेदन



सत्य प्रतिलिपि

मुख्य प्रतिलिपिकार
कमिश्नर रायपुर संभाग,
रायपुर (छ.ग.)



का अवलोकन एवं अध्ययन करने से स्पष्ट होगा कि राजस्व निरीक्षक ने प्रतिवेदन में स्पष्ट कथन किया है कि आवेदित भूमि चालू नक्शे में पृथक से बटांकित नहीं किन्तु आवेदक/उत्तरवादी द्वारा अपने क्रयशुदा भूमि के बैनामा की सत्यापित छायाप्रति प्रस्तुत किया गया जिसमें आवेदित भूमि का पृथक से लाल रंग से चिन्हांकन होना पाया गया जो आवेदक के वर्णित रकबा 0.352 हे. के अनुरूप पाया गया तथा जिसके अनुसार कब्जा स्थल से मौके से मिलान करने पर सही होना पाया गया। इस तरह आवेदित भूमि का उसके क्रयशुदा बैनामा से संलग्न पटवारी नक्शे में चिन्हांकन/बटांकन होना पाया गया जो मौके पर मिलान करने से सही होना पाया गया इसलिये पुनरीक्षणकर्ता द्वारा उक्त संबंध में उठाई गई आपत्ति/आधार स्वीकार योग्य नहीं है। पुनरीक्षणकर्ता ने पुनरीक्षण के आधार कंडिका 2 में एक ओर तो स्थल पर नाप नहीं किये जाने का कथन किया है वहीं उसी कंडिका में चांदा मुनारा नहीं होने से ख.नं. 421, 425 एवं 426 को आधार मानकर खसरा नंबर के नक्शे के सीमाओं को नाप कर पटवारी नक्शे के आधार पर सीमांकन किया जाना कथन किया है जिससे स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा मौके पर विधिवत सीमांकन कार्यवाही की गई है। राजस्व निरीक्षक ने अपने प्रतिवेदन में आवेदित भूमि का स्थल पर नाप करने के लिये आसपास स्थायी सीमा चिन्ह तलाश किया गया किन्तु आसपास कोई स्थाई सीमा चिन्ह, चांदा मुनारा नहीं होना पाया। अतः समीप स्थित ख.नं. 421, 425 एवं 426 के तिमेड़ा को आधार मानकर आवेदित भूमि का स्थल पर नाप किया गया। आवेदक का कब्जा स्थल आवेदित भूमि पर होना पाया गया जिसे प्रतिवेदन के संलग्न पटवारी नक्शे में लाल स्याही से अंकित किया गया। सीमांकन कार्यवाही से आवेदित भूमि के 0.0618 हे. अर्थात् 6660 वर्गफुट पर पुनरीक्षणकर्ता द्वारा बाउण्ड्रीवाल बनाकर कब्जा किया गया होना जिसे संलग्न नक्शे में पीले रंग से एवं लाल रंग से घेरकर दशाये गए भाग पर आवेदक स्वयं का कब्जा होना पाया गया। आवेदक का कब्जा पटवारी नक्शा के अनुसार ख.नं. 427 की मूल सीमा के अंदर होना पाया स्पष्ट रूप से होना उल्लेखित किया गया है। पुनरीक्षणकर्ता द्वारा पुनरीक्षण में उठाए गए आधार के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि सीमांकन प्रकरण को चुनौती देने का जो आधार होना चाहिये उसके द्वारा ऐसा कोई विधिक आधार नहीं उठाया गया है जिसके आधार पर पुनरीक्षण स्वीकार किया जा सके। पुनरीक्षणकर्ता स्वयं ने उक्त भूमि पर काबिज होना स्वीकार किया है जिससे प्रथम दृष्टया ही सीमांकन में कोई त्रुटि या अनियमितता नहीं होना प्रमाणित होता है। पुनरीक्षणकर्ता अपनी भूमि का सीमांकन कराने स्वतंत्र है। किसी के भूमि पर कब्जा होने मात्र के आधार पर विधिवत किये गये सीमांकन को प्रश्नांकित नहीं किया जा सकता। पुनरीक्षणकर्ता ने सीमांकन प्रतिवेदन अनुमोदित होने के बाद भी समय पर कोई कार्यवाही नहीं किया और जब उत्तरवादी द्वारा अपनी भूमि पर किए गए बेदखली कार्यवाही की गई तब उत्तरवादी की भूमि के बेदखली से बचने औचित्यहीन आधारों पर अपर कलेक्टर के समक्ष पुनरीक्षण प्रस्तुत किया था जिसे निरस्त करने में उन्होंने कोई त्रुटि नहीं किया है। पुनरीक्षणकर्ता आवेदित भूमि के बेदखली से बचने औचित्यहीन आधारों पर पुनरीक्षणकर्ता द्वारा यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत किया है जो खारिज योग्य है। पुनरीक्षण खारिज करने का निवेदन किया है।

6/ मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण एवं संलग्न दस्तावेजों का परिशीलन किया गया। उत्तरवादी क्र. 1/आवेदक नानकूराम रहेजा पिता स्व. दयाराम रहेजा निवासी बलांगीर उड़ीसा हाल मुकाम रायपुर छ.ग. द्वारा संहिता की धारा 129 के तहत ग्राम सड़डू प.ह.नं. 109/44, तहसील व जिला रायपुर स्थित भूमि ख.नं. 427/1 रकबा 0.352 हे. अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि के सीमांकन हेतु विचारण न्यायालय तहसीलदार रायपुर के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पर राजस्व निरीक्षक/हल्का पटवारी से प्रतिवेदन पर कि आवेदित भूमि के सीमांकन हेतु ख.नं. 421, 425 एवं 426 के तिमेड़ा को आधार मानकर सीमांकन में आवेदित भूमि के 0.0618 हे. अर्थात्



सत्य प्रतिलिपि

मुख्य प्रतिनिधिकार
कमिशनर रायपुर संभाग,
रायपुर (छ.ग.)

6660 वर्गफुट पर निजाम सेन के द्वारा बाउण्ड्रीवाल बनाकर कब्जा किया गया जिसे संलग्न नक्शे में चिह्नित किया गया। राजस्व निरीक्षक द्वारा अपने प्रतिवेदन के साथ स्थल पंचनामा, आवेदित भूमि का खसरा, बी-1, चिन्हांकित नक्शा, आम सूचना, सूचना नोटिस एवं सुरेन्द्र गोयल द्वारा प्रस्तुत लिखित आपत्ति के साथ प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने पर प्र.क्र. 27 अ-12 वर्ष 2019-20 में आदेश दिनांक 12.12.2019 द्वारा यह पाते हुए कि आपत्तिकर्ता द्वारा स्वयं का ख.नं. 429/1 रकबा 0.194 हे. का भूमिस्वामी होकर आवेदक की भूमि के सीमांकन से आपत्तिकर्ता का हित प्रभावित नहीं हो रहा है। राजस्व निरीक्षक के प्रस्तुत सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 19.11.2019 को अनुमोदित किया जाकर आपत्तिकर्ता की आपत्ति आधारहीन होने से प्रकरण खारिज कर नस्तीबद्ध किया गया। इसी आधार पर अपर कलेक्टर रायपुर द्वारा पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण को प्रारंभिक स्तर पर ही अग्राह्य किया। सीमांकन प्रतिवेदन के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि उत्तरवादी द्वारा ग्राम सड़क, प.ह.नं. 109/44, तहसील व जिला रायपुर स्थित अपनी भूमि ख.नं. 427/1 रकबा 0.352 हे. के सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। उक्त आवेदन पर तहसीलदार द्वारा राजस्व निरीक्षक/पटवारी को ज्ञापन जारी किया जाकर आवेदक/उत्तरवादी की भूमि का विधिवत सीमांकन कर प्रतिवेदन देने निर्देश दिया गया था जिसके परिपेक्ष्य में राजस्व निरीक्षक द्वारा मौके पर उपस्थित लोगों की उपस्थिति में विधिवत सीमांकन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। पुनरीक्षणकर्ता ने अपने पुनरीक्षण में आवेदित भूमि का नक्शे में बटांकन नहीं होने संबंधी आपत्ति उठाई है उक्त परिपेक्ष्य में सीमांकन प्रतिवेदन का अवलोकन एवं अध्ययन करने से स्पष्ट होगा कि राजस्व निरीक्षक ने प्रतिवेदन में स्पष्ट लेख किया है कि आवेदित भूमि चालू नक्शे में पृथक से बटांकित नहीं किन्तु आवेदक/उत्तरवादी द्वारा अपने क्रयशुदा भूमि के बैनामा की सत्यापित छायाप्रति प्रस्तुत किया गया जिसमें आवेदित भूमि का पृथक से लाल रंग से चिन्हांकन होना पाया गया जो आवेदक के वर्णित रकबा 0.352 हे. के अनुरूप पाया गया तथा जिसके अनुसार कब्जा स्थल से मौके से मिलान करने पर सही होना पाया गया। इस तरह आवेदित भूमि का उसके क्रयशुदा बैनामा से संलग्न पटवारी नक्शे में चिन्हांकन/बटांकन होना पाया गया जो मौके पर मिलान करने से सही होना पाया गया। पुनरीक्षणकर्ता अपनी भूमि का सीमांकन कराने स्वतंत्र है। किसी के भूमि पर कब्जा होने मात्र के आधार पर विधिवत किये गये सीमांकन को प्रश्नांकित नहीं किया जा सकता। उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रस्तुत संहिता की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका सारहीन होने से अस्वीकार किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 17.02.2025 को पारित एवं उद्घोषित किया गया।



(महादेव कावरे (IAS))

आयुक्त,
रायपुर संभाग, रायपुर
रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक

पृ0क्र0/
प्रतिलिपि :-

1. न्यायालय अपर कलेक्टर, रायपुर जिला, रायपुर को उनके मूल प्रकरण के साथ आदेश की प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित।
2. न्यायालय तहसीलदार, रायपुर, जिला रायपुर को उनके मूल प्रकरण के साथ आदेश की प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित।



आयुक्त,
रायपुर संभाग, रायपुर
रायपुर (छ.ग.)

सत्य प्रतिलिपि

मुख्य प्रतिलिपिकार
कमिश्नर रायपुर संभाग,
रायपुर (छ.ग.)



न्यायालय तहसीलदार रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छ०ग०)

// राजस्व मामले की नोटिस //

राजस्व प्र.क्र./
प्रति,

/अ-70/2024-25

रायपुर, दिनांक 28/04/2025

निजाम सेन पिता स्व. नरोत्तम सेन
निवासी गांधी चौक सड़क, गुरुगोविंद सिंह वार्ड क्र. 29,
रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ०ग०)

द्वारा :- जमादार माल तहसील कार्यालय रायपुर ।

-----000-----

इस नोटिस के जरिये आपको सूचना दी जाती है कि आवेदकगण 01. श्रीमती पल्लवी परेश सावला पति श्री परेश एच. सावला निवासी फ्लैट नं. 609, बालाजी गार्डन, टिम्बर मार्केट, फाफाडीह रायपुर (छ०ग०), 02. नानक राम रहेजा पिता स्व. दया राम रहेजा निवासी बलांगीर (उड़िसा) हाल कुमार अवंति विहार, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ०ग०) द्वारा इस न्यायालय में छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-250 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में उल्लेखित किया है कि आवेदक क्र. 02 की स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि ग्राम सड़क प०ह०नं० 109/44, तहसील व जिला रायपुर में स्थित भूमि खसरा नंबर 427/1 रकबा 0.352 हे. भूमि स्थित है। आवेदक क. 2 नानक राम रहेजा द्वारा अपने उपरोक्त भूमि के सीमांकन आवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर प्रकरण क्रमांक 27/अ-12 वर्ष 2019-20 दर्ज कर राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी का दल गठन कर सीमांकन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने निर्देशित किया, उक्त निर्देश पर उक्त सीमांकन दल द्वारा विधिवत सीमांकन कार्यवाही कर प्रतिवेदन दिनांक 19.11.2019 को प्रस्तुत किया गया था। उक्त सीमांकन कार्यवाही में आवेदक क. 2 की उक्त भूमि का रकबा 0.0618 हे. (6660 वर्गफुट) पर अनावेदक द्वारा बाउंड्री वाल बनाकर अवैध कब्जा किया जाना पाया गया था। सीमांकन दल द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रतिवेदन को आदेश दिनांक 12.12.2019 के द्वारा स्वीकार कर किया गया है। उक्त सीमांकन आदेश को अनावेदक द्वारा माननीय अपर कलेक्टर रायपुर के समक्ष पुनरीक्षण याचिका क्र. 10/अ-12 वर्ष 2020-21 प्रस्तुत कर चुनौति दिया था जिसे उन्होंने अपने आदेश दिनांक 27.11.2020 के द्वारा निरस्त कर दिया था। माननीय अपर कलेक्टर रायपुर के उक्त आदेश को अनावेदक द्वारा माननीय आयुक्त महोदय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका क्रमांक 56/अ-12 वर्ष 2020-21 प्रस्तुत कर चुनौति दिये थे जिसे उन्होंने अपने आदेश दिनांक 17.02.2025 के द्वारा निरस्त कर दिये हैं। आवेदक क. 2 द्वारा अपने स्वामित्व की उक्त भूमि आवेदक क्रमांक 1 को विक्रय कर उसका स्वामी बना दिया है। इस तरह आवेदक क. 1 उक्त भूमि खसरा नंबर 427/1 रकबा 0.0618 हे. का स्वत्वधारी हो गई है। अतएव आवेदकगण द्वारा आवेदित भूमि से अनावेदक का अनाधिकृत कब्जा हटाया/बेदखल किये जाने का निवेदन किया गया है। अतएव प्रकरण आपकी उपस्थिति हेतु अनिवार्य है। प्रकरण में सुनवाई दिनांक 15/04/2025 नियत है।

अतः उक्त प्रकरण की सुनवाई हेतु आप स्वतः अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से सुनवाई दिनांक 15/04/2025 को अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें, अन्यथा आपकी मौन सहमति मानी जावेगी एवं प्रकरण में आपके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

आज दिनांक 28/04/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया



तहसीलदार,
रायपुर (छ. ग.)